

न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण झाँसी

प्रकीर्ण वाद सं. 89/2020 (एम.ए.सी.पी. सं. 74/2019)

बल्ली अहिरवार उर्फ अरविन्द बनाम राजकुमार आदि

05.08.2020

प्रार्थी बल्ली अहिरवार उर्फ अरविन्द ने यह प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में समझौते के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा 25,000/-रु. का एवार्ड पारित किया गया था तथा एवार्ड की धनराशि न्यायाधिकरण के खाते में जमा की जा चुकी है। अतः प्रार्थी/याची ने प्रार्थना की है कि उक्त एवार्ड की धनराशि उसके खाता सं. 3464776018 IFSC- CBIN0282043 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा हंसारी जिला झाँसी में स्थानान्तरित करने की कृपा की जाये। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र 4C2 व बैंक खाते की छाया प्रति दाखिल की है।

सुना तथा प्रस्तुत पत्रावली व एम.ए.सी.पी. सं. 74/2019 बल्ली अहिरवार उर्फ अरविन्द बनाम राजकुमार आदि की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने शपथपत्र 4C2 में यह भी कथन किया है कि उक्त एवार्ड के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गयी है न ही विचाराधीन है। मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 01.07.2020 को उभय पक्ष के मध्य हुये समझौते के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा 25,000/-रुपये का एवार्ड पारित किया गया है तथा एवार्ड की इस धनराशि को प्रार्थी/याची को RTGS/NEFT के माध्यम से नकद प्रदान की जानी है। प्रार्थी ने अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रति दाखिल की है तथा कार्यालय आख्या के अनुसार उक्त एवार्ड की धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी में जमा है। अतः प्रार्थी प्रकरण में जमाशुदा उक्त एवार्ड की धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार प्रार्थी का 3B प्रार्थनपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

3B प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. 74/2019 बल्ली अहिरवार उर्फ अरविन्द बनाम राजकुमार आदि के प्रकरण में जमाशुदा धनराशि मुब. 25,000/- (पच्चीस हजार) रु. व इस धनराशि पर अब तक अर्जित ब्याज की धनराशि प्रार्थी/याची बल्ली उर्फ अरविन्द अहिरवार के खाता सं. 3464776018 IFSC- CBIN0282043 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा हंसारी जिला झाँसी में RTGS/NEFT के माध्यम से अबिलंब स्थानान्तरित करें तथा अनुपालन आख्या 3 दिन के अन्दर न्यायाधिकरण में प्रेषित करें।

(चन्द्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।